राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक प. 6 (12)प्रसु/अनु–3/2011 जयपुर, दिनांक 31.3.2011

आज्ञा

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 6385/2010 सूरजभान मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य रिट याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामात्मक वरिष्ठता निर्धारित किये जाने से संबंधित समस्त बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर अनुशंषा करने हेतु श्री के.के. भटनागर, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किये जाने की राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते है। इस समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे:–

1. श्री अशोक सम्पतराम — सदस्य
   प्रमुख शासन सचिव
   स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग

2. श्री गोविन्द शर्मा — सदस्य
   प्रमुख शासन सचिव
   खान एवं पैट्रोलियम विभाग

उक्त समिति पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित सभी बिन्दुओं पर विचार कर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को दो माह में प्रस्तुत करेगी। समिति का कार्यालय शासन सचिवालय में होगा। समिति अपने कार्य की प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी। इस समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक (क–2) विभाग होगा एवं प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक इस समिति के समन्वयक होंगे।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. श्री के.के. भटनागर, सेवानिवृत्त आई.ए.एस।
4. श्री अशोक सम्पतराम, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग।
5. श्री गोविन्द शर्मा, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पैट्रोलियम विभाग।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
8. शासन उप सचिव, कार्मिक(क–2) विभाग को आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
9. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

अत्यावश्यक (20)

Anx- 2

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–5)विभाग

सं0प0 9(3)कार्मिक/क–5/2011 जयपुर, दिनांक 19-1-2011

1–समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव
2–समस्त विभागाध्यक्ष
(समस्त जिला कलक्टर्स)/सम्भागीय आयुक्त सहित

विषयः–विभिन्न सेवा संवर्गो में स्वीकृत, भरे हुए पद, रिक्त पद, संवर्ग में कार्यरत अनु0जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की संख्या एंव अनु0जाति/जनजाति वर्ग के आरक्षण अवशेष की सूचना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आगामी विधान सभा सत्र के अन्तर्गत उठने वाले प्रश्नों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न सेवा संवर्गो के पदों में स्वीकृत पद, भरे हुए पद, रिक्त पद, संवर्ग में कार्यरत अनु0 जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की संख्या एंव अनु0जाति/जनजाति वर्ग के आरक्षण अवशेष की सूचना की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त उक्त सूचना राजस्थान विधान सभा की अनु0जाति/अनु0जनजाति कल्याण समिति एंव राष्ट्रीय अनु0जाति तथा अनु0जनजाति आयोग, भारत सरकार को उनके उपयोगार्थ भिजवाई जानी है।

अतः आपसे निवेदन है कि दिनांक 01.01.2011 की स्थिति में आपके प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन समस्त विभागों की संकलित सूचना सलग्न निर्धारित प्रपत्रों में इस विभाग को तीन दिवस में भिजवाने का कष्ट करें, ताकि सूचना का संकलन किया जा सकें। सूचना सीधी भर्ती एंव पदौन्नति से भरे जाने वाले पदों हेतु सेवावार यथा–राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एंव चतुर्थ श्रेणी सेवा की पृथक–पृथक संवर्गवार सम्पूर्ण विभाग की संकलित की जावें। यहॉ यह ध्यान रखा जावें कि सूचना उसी संवर्ग की भिजवाई जावें जिसके लिए आपका विभाग नियुक्ति हेतु सक्षम है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

सलग्नः–उपरोक्तानुसार

19.1.11

(खेमराज)
[illegible] शासन सचिव

(21)

प्रपत्र–1
सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद

दिनांक 01.01.2011 की स्थिति में विभिन्न सेवा संवर्ग में स्वीकृत पद, रिक्त पद, अनु0जाति/जनजाति के कार्यरत व्यक्तियों की संख्या एंव आरक्षण अवशेष संबंधी सूचना का विवरण

विभाग का नाम————————————

सेवा का नाम	संवर्ग का नाम	कुल स्वीकृत पद				भरे हुए पद				रिक्तियों की संख्या				आरक्षण में कम	
		सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	अ.जा.	अ.ज.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1–राज्य सेवा															
2–अधीनस्थ सेवा															
3–मंत्रालयिक सेवा															
4–च0श्रे0सेवा (हरिजन के अतिरिक्त)															

प्रपत्र–2

पदोन्नति से भरे जाने वाले पद

दिनांक 01.01.2011 की स्थिति में विभिन्न सेवा संवर्ग में स्वीकृत पद, रिक्त पद, अनु0जाति/जनजाति के कार्यरत व्यक्तियों की संख्या एंव आरक्षण अवशेष संबंधी सूचना का विवरण

विभाग का नाम————————————

सेवा का नाम	संवर्ग का नाम	कुल स्वीकृत पद				भरे हुए पद				रिक्तियों की संख्या				आरक्षण में कमी	
		सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1–राज्य सेवा															
2–अधीनस्थ सेवा															
3–मंत्रालयिक सेवा															
4–च0श्रे0सेवा (हरिजन के अतिरिक्त)															

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–5)विभाग

सं0प0 9(3)कार्मिक / क–5 / 2011 पार्ट जयपुर, दिनांक 27-1-2011

1–समस्त अति0 मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव

2–समस्त विभागाध्यक्ष (समस्त जिला कलक्टर्स) / सम्भागीय आयुक्त सहित

विषयः–एसएलपी संख्या 6385 / 2010, सूरजभान मीणा एंव अन्य बनाम राजस्थान राज्य एंव अन्य तथा एसएलपी संख्या 7716 / 2010, 7717 / 2010, 7826 / 2010 एंव 7838 / 2010 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 07.12.2010 की पालना के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एसएलपी (सिविल) संख्या 6385 / 2010, सूरजभान मीणा एंव अन्य बनाम राजस्थान राज्य एंव अन्य एसएलपी (सिविल) संख्या 7716 / 2010, 7717 / 2010, 7826 / 2010 एंव 7838 / 2010 में पारित निर्णय दिनांक 07.12.2010 की पालना के क्रम में राजकीय सेवाओं में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिया जाना है। इस हेतु राजकीय सेवाओं में अनु0जाति / अनु0जनजाति वर्ग हेतु निर्धारित आरक्षण क्रमशः 16 प्रतिशत एंव 12 प्रतिशत के अनुपात में उक्त वर्ग का प्रतिनिधित्व कम / आधिक्य निर्धारण हेतु सलग्न प्रपत्र में दिनांक 01.04.97 से प्रतिवर्ष 01.04.2010 तक वर्षवार सूचना की आवश्यकता है।

अतः आपसे निवेदन है कि वॉछित सूचना आपके प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन समस्त विभागों की संकलित कर सलग्न निर्धारित प्रपत्र में वर्षवार इस विभाग को सात दिवस / 08 फरवरी से पूर्व भिजवाने का कष्ट करे, ताकि सूचना का संकलन किया जा सके। सूचना पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों हेतु सेवावार यथा राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एंव च0श्रे0सेवा की पृथक–पृथक सम्पूर्ण विभाग की संकलित की जावे। यहां यह ध्यान रखा जावे कि सूचना उसी संवर्ग की भिजवाई जावे जिसके लिये आपका विभाग नियुक्ति प्राधिकारी है।

कृपया उक्त कार्य के लिये आपके विभाग में एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर सूचित भी करावे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करे।

सलग्नः–उपरोक्तानुसार

(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

(84) पदोन्नति से भरे जाने वाले प

वर्ष—————

विभिन्न सेवा संवर्ग में स्वीकृत पद, रिक्त पद, अनु0जाति/जनजाति के कार्यरत व्यक्तियों की संख्या एवं आरक्षण में कमी/आधिक्य संबंधी सूचना का विवरण

विभाग का नाम——————————

सेवा का नाम	कुल स्वीकृत पद				भरे हुए पद				भरे हुए पदों में आरक्षण सम्बन्धी विवरण				भरे हुए पदों के अनुसार आरक्षण में कमी/आधिक्य		विशे विवर
	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	सामान्य	अ.जा. (16%)	अ.ज.जा. (12%)	योग	अ.जा.	अ.ज. जा.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1–राज्य सेवा (State Service)															
2–अधीनस्थ सेवा (Subordinate Service)															
3–मंत्रालयिक सेवा (Ministerial Service)															
4–च0श्रे0सेवा (स्वच्छकार के अतिरिक्त) (Class IV Service)															

नोटः–प्रपत्र के बिन्दु सं0 14 एंव 15 में भरे हुए पदों की संख्या आरक्षित पदों से कम/अधिक है, तो संख्या के साथ –/+ चिन्ह अंकित करे।